<u>न्यायालय सेशन न्यायाधीश, भरतपुर (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी : बलजीत सिंह, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या : 157/2026 (सी.आई.एस. संख्या 171/2026)

भूपेन्द्र सिंह पुत्र खूबीराम, आयु 40 साल, निवासी रसाला मोहल्ला, पुलिस थाना मथुरागेट, भरतपुर (राज.)

----- आरोपी/प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, भरतपुर

----- अप्रार्थी/अभियोगी

प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, एफ.आई.आर. संख्या 527/20, पुलिसथाना मथुरागेट, अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 324, 325, 504, 34 भा.द.स.

<u>उपस्थिति</u> :-

1. श्री राजवीर सिंह, विद्वान् अधिवक्ता, आरोपी/प्रार्थी।
2. श्री नरेश चन्द, विद्वान् लोक अभियोजक, जरिये राजस्थान राज्य।

<u>आ दे श</u> **दिनांक : <u>24.03.2026</u>**

1. आरोपी/प्रार्थी भूपेन्द्र सिंह की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र पेश किये जाने पर प्रार्थनापत्र की नकल विद्वान् लोक अभियोजक को दिलाई गई एवं केस डायरी तलब की जाकर बहस जमानत प्रार्थनापत्र सुनी गई।

2. आरोपी/प्रार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया गया कि आरोपी/प्रार्थी को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उसके विरुद्ध दर्ज प्रकरण के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। उस पर कभी भी किसी सम्मन व वारण्ट की तामील नहीं हुई। पुलिसकर्मियों द्वारा परिवादी के साथ मिलकर उसको झूठा मफरूर घोषित करवाया गया है। आरोपी/प्रार्थी दिनाँक 21.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। उसकी पत्नी गर्भवती है। आरोपी/प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। आरोपी/प्रार्थी न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों की पालना करने के लिए तैयार है। आरोपी/प्रार्थी के कहीं भागने का भी कोई अंदेशा नहीं है। इसलिए उसे जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

3. विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि आरोपी/प्रार्थी वर्ष 2020 से न्यायिक प्रक्रिया से भागता रहा है तथा उसके द्वारा प्रकरण के अनुसंधान में कोई सहयोग नहीं किया गया है। इसलिए आरोपी/प्रार्थी का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 17.09.2020 को परिवादी प्रदीप पुत्र जगन्नाथ, निवासी नगर निगम के पीछे रसाला मोहल्ला, भरतपुर ने पुलिस थाना मथुरागेट पर तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनाँक 16.09.2020 को रात्रि के समय करीब 8:30-9:00 बजे उसका पिता मजदूरी करके अपने घर आया हुआ था, तो भूपेन्द्र पुत्र खूबीराम व उसकी पत्नी व वीरेन्द्र पुत्र खूबीराम एकराय-मशविरा कर आये और उसकी माँ व परिवारजनों से माँ, बहिन, बेटी की गंदी-गंदी गालियाँ देने लगे। उसकी माँ व पिता जगन्नाथ ने गाली देने से मना किया तो भूपेन्द्र, उसकी पत्नी व भाई हाथों में लाठी, डण्डा, लोहे का पाइप लेकर आये और उसके पिता के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। भूपेन्द्र के हाथ में लोहे का पाइप था जिसने उसके पिता को जान से मारने की नीयत से सिर में तीन जगह प्रहार किये जिससे सिर में काफी गम्भीर चोटें आई व उसकी पत्नी ने उसके पिता के बायें हाथ में डण्डा मारा व वीरेन्द्र ने दायें हाथ पर लाठी मारी जिससे हाथ में गम्भीर चोटें आई हैं। उसकी माँ चन्द्रकला ने बचाया तो भूपेन्द्र व वीरेन्द्र ने लात-घूँसों से मारपीट कर मजदूरी के पैसों को निकालकर ले गये जो करीब 3500/-रुपये थे। उसके पिता की गम्भीर हालत होने पर उनको आरबीएम अस्पताल, भरतपुर में भर्ती कराया जो इलाजरत है। अतः उसके पिता जगन्नाथ व माता चन्द्रकला के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल कराया जाकर आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे,....इत्यादि। इस रिपोर्ट पर एफआईआर संख्या 527/20 अंतर्गत धारा 323, 341, 379 भा.द.स. में दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया एवं बाद अनुसंधान आरोपीगण भूपेन्द्र व वीरेन्द्र के विरुद्ध अपराध धारा 341, 323, 324, 325, 504, 34 भा.द.स. प्रमाणित पाए जाने पर आरोपीगण भूपेन्द्र व वीरेन्द्र के फरार होने से उनके विरुद्ध धारा 37 पुलिस एक्ट के तहत वारण्ट जारी करवाये गये तत्पश्चात मफरूर घोषित कराये जाकर स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट जारी होने पर आरोपी वीरेन्द्र को दिनाँक 01.03.2022 को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किया एवं उसके पश्चात आरोपी भूपेन्द्र को दिनाँक 21.02.2026 को गिरफ्तार किया जाकर दिनाँक 22.02.2026 को रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया जिसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

5. बहस पर मनन किया गया एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अनुसार आरोपी/प्रार्थी के विरुद्ध परिवादी के पिता जगन्नाथ व माता श्रीमती चन्द्रकला के साथ मारपीट करने के कारण धारा 323, 341, 324, 325, 504 भा.द.स. का अपराध अनुसंधान में प्रमाणित पाया गया है। निःसन्देह आरोपी/प्रार्थी द्वारा इस प्रकरण की घटना के पश्चात से ही प्रकरण की कार्यवाही से बचने के लिए निरंतर फरार रहा है जिसके विरुद्ध सर्वप्रथम धारा 37 पुलिस एक्ट के वारण्ट जारी किये गये तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा उसे मफरूर घोषित किया जाकर स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया गया। आरोपी/प्रार्थी स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट की पालना में दिनाँक 21.02.2026 को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी/प्रार्थी दिनाँक 22.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। केस डायरी के अनुसार आरोपी/प्रार्थी के

विरुद्ध इस प्रकरण से पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना पाया गया है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना मेरे विनम्र मत में आरोपी/प्रार्थी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. परिणामत: आरोपी/प्रार्थी भूपेन्द्र सिंह पुत्र खूबीराम, आयु 40 साल, निवासी रसाला मोहल्ला, पुलिस थाना मथुरागेट, भरतपुर (राज.) की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि आरोपी/प्रार्थी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होने हेतु 50,000/-(अक्षरे पचास हजार) रुपये की राशि का स्वयं का बंधपत्र एवं 25,000-25,000/-(अक्षरे पच्चीस-पच्चीस हजार) रुपये की राशि की दो जमानतें विचारण न्यायालय के संतोषप्रद व समाधानप्रद पेश कर तस्दीक करा दी जावें, तो आरोपी/प्रार्थी की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(बलजीत सिंह)
सेशन न्यायाधीश
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 24.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Steno Grade -I
(Authenticated Document)
Digitally signed by GULRAJ GOPAL
Date: 2026.03.24 17:29:53 +0545

(बलजीत सिंह)
सेशन न्यायाधीश
भरतपुर